

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 11/2013 अ०दी०

संस्थापित दिनांक 19.06.2013

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री सहदेवसिंह, उम्र 46 वर्ष। निवासी ग्राम छीमका, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०। हाल निवासी लक्ष्मण तलैया शिंदे की छावनी लश्कर ग्वालियर।

अपीलार्थी/प्रतिवादी क.1

बनाम

1. हरनाम सिंह पुत्र हीरासिंह, उम्र 59 वर्ष।
 2. वेदराम सिंह पुत्र हीरासिंह, उम्र 52 वर्ष।
 3. श्रीमती कुसुमादेवी पत्नी होमसिंह, उम्र 45 वर्ष।
 4. रविसिंह पुत्र होमसिंह, उम्र 20 वर्ष।
 5. कुमारी पूजा पुत्री होमसिंह, उम्र 17 वर्ष।
 6. कुमारी प्रियंका पुत्री होमसिंह, उम्र 15 वर्ष।
 7. प्रिंस पुत्र होमसिंह, उम्र 12 वर्ष।
- प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 5,6,7 नावालिग सरपस्त माँ खुद श्रीमती कुसुमदेवी।

-----प्रतिअपीलार्थी/वादीगण

8. सहदेवसिंह पुत्र हीरासिंह, उम्र 49 वर्ष। निवासी ग्राम छीमका, परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०, हाल निवासी लक्ष्मण तलैया शिंदे की छावनी लश्कर ग्वालियर।
9. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड
तरतीवी प्रतिअपीलार्थीगण/प्रति.क्र. 2 व 3

अपीलार्थी द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 7 द्वारा श्री के.सी.उपाध्याय अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 8 द्वारा श्री रमेश दोंदेरिया अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 9 पूर्व से एक पक्षीय।

// निर्णय //

(आज दिनांक 08-05-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा वर्तमान अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद, पीठासीन अधिकारी कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 143ए/2011 ई0दी0 हरनामसिंह बगैरह वि0 सुमनदेवी आदि में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 30.04.2013 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में निष्पादित वसीतनामा प्रत्यर्थी/वादीगण के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन घोषित किया है।

02. संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिअपीलार्थी/वादीगण 1 लगायत 7 की ओर से प्रस्तुत बाद इस प्रकार रहा है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध भूमि सर्वे क्रमांक 638/1 रकवा 0.25, सर्वे क्र. 606 रकवा 0.92, सर्वे क्र. 1172/2 रकवा 0.09, सर्वे क्र. 1471 रकवा 0.21, सर्वे क्र. 1552/2 रकवा 0.04, सर्वे क्र. 1575 रकवा 0.15, सर्वे क्र. 1644 रकवा 0.40, सर्वे क्र. 1646 रकवा 0.29, सर्वे क्र. 1649/1846 रकवा 0.02, सर्वे क्र. 1700 रकवा 0.06, सर्वे क्र. 1749 रकवा 0.21 कुल किता 11 कुल रकवा 2.64 हे0 जो कि ग्राम छीमका परगना गोहद में स्थिति है। (जिसे कि आगे निर्णय में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा।) एवं ग्राम छीमका में स्थिति रिहायशी मकान (जिसे आगे निर्णय में विवादित मकान के नाम से संबोधित किया जाएगा।) को वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति घोषित करते हुए स्वयं का 1/4, 1/4 भाग के भूस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित करने, विवादित सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित वसीयत दिनांक 02.09.2011 को वादीगण के मुकाबले शून्य प्रभावी घोषित करने एवं विवादित भूमि व व मकान में वादीगण के कब्जा व वर्ताव में बाधा उत्पन्न न करने बावत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया था।

03. आगे यह भी निवेदन किया गया कि वादी क्र.1 हरनाम, वादी क्र. 2 वेदराम एवं वादी क्र. 3 लगायत 7 तथा प्रतिवादी क्र. 2 का उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि एवं भवन में 1/4, 1/4 हिस्सा है

जिस पर वे वहेसियत भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य कर रहे एवं निवास कर रहे हैं। उक्त विवादित भूमि एवं भवन वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 को उनके पूर्वजों से प्राप्त होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मृतक हीरासिंह के वारिस हैं। हीरासिंह की मृत्यु दिनांक 27.10.11 को हो चुकी है। हीरासिंह अपनी मृत्यु के लगभग 3-4 माह पूर्व वेहोशी हीलात में रहने लगे और अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ हो गए और आँखों से दिखाई देना भी बंद हो गया। हीरासिंह वादीगण के साथ ग्राम छीमका में निवास करते थे। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने उक्त विवादित भूमि व मकान हड़पने के लिए छलकपट पूर्वक तथा अपने मेलजोल के व्यक्तियों को गहवा बनाकर दिनांक 02.09.2011 को जिला जालौन की तहसील माधोगंज के उपपंजीयक कार्यालय से सांठगांठ कर फर्जी वसीयत मृतक हीरासिंह के नाम से बनवा लिया जबकि हीरासिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं लिखी गई, उनकी मृत्यु निर्वसीयत हुई थी। दिनांक 04.12.2011 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा वादीगण को आने हिस्से की विवादित भूमि पर से खेती करने से रोका गया व फसल काटने की धोश दी व विवादित भूमि एवं भवन पर वादीगण के स्वत्वों से पूर्णतः इन्कारी की गई व वसीयत के संबंध में बताया गया जिसके कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध उक्त वाद प्रस्तुत करते हुये प्रतिवादीगण के विरुद्ध पदक्रमांक 1 में वर्णित सहायता दिलाए जाने की प्रार्थना की।

04. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्र01 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का वादोत्तर प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अभिकथित प्राक्कथनों से प्रत्याख्यान करते हुए विशेष कथनों में यह आधार लिया है कि विवादित भूमि व भवन वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति न होकर उनके पिता हीरासिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिस पर वादीगण का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। हीरासिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादित भूमि एवं भवन पर काबिज है। हीरासिंह के चार पुत्र थे जिनमें से हरनामसिंह फौज में नौकरी करता था जो वर्तमान में रिटायर्ड है, केदारसिंह विद्युत विभाग में नौकरी करता था, जिसकी पत्नी आंगनवाडी में सुपरवाइजर है तथा होमसिंह को हीरासिंह ने ट्रक खरीदकर दिया था जिसके पैसे होमसिंह के वारिसानों पर हैं। इस प्रकार

हीरासिंह द्वारा अपने लडकों का प्रथक प्रथक परिवार व्यवस्था कर बटवारा कर दिया था। हरनामसिंह व वेदराम की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद वह हीरासिंह के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। हीरासिंह का चौथा पुत्र सहदेवविह मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। हीरासिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ रहते थे और वही उसकी देखरेख करता था। हीरासिंह अपनी मृत्यु के अंतिम समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ और सोच समझकर अपने पास रही समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 02.09.11 को प्रतिवादी क्रमांक 2 सहदेव का हिस्सा मानकर कार्यालय उप रजिस्ट्रार जिला जालौन में सब रजिस्ट्रार के पास करा दिया जिससे विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व व आधिपत्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध गलत रूप से दावा प्रस्तुत किया गया। दावा आधार हीन होने एवं बिना वाद कारण के उत्पन्न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, साक्षियों का परीक्षण कराया गया है एवं दस्तावेज प्रमाणित कराये गये हैं। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने गुण-दोष पर निराकरण करते हुये उक्तानुसार दावा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक 1 के हक में निष्पादित वसीतनामा प्रत्यर्थी/वादीगण के मुकाबले शून्यप्रभाव घोषित किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

06. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रं. 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने, प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं कर वाद विषयों का सही निष्कर्ष नहीं निकालने में त्रुटि किये जाने एवं एवं आलोच्य आदेश उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य निर्णय को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थीगण की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 लगायत 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री के०सी० उपाध्याय तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 8 द्वारा श्री रमेश दौदेरिया को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क० 143ए/2011 ई०दी० (हरनामसिंह बगैरह वि० सुमनदेवी आदि) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 30.04.2013 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

09. अपील प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क० 143ए/2011 ई०दी० (हरनामसिंह बगैरह वि० सुमनदेवी आदि) में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 30.04.2013 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है?
02.	क्या अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है ?
03.	क्या अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं?

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

10. अपीलार्थी के द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि विचारण न्यायालय ने वसीयतनामे को अविश्वसनीय मानने का जो निष्कर्ष निकाला है वह अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है, जबकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित पाया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति हीरासिंह की स्वअर्जित सम्पत्तियाँ थी और इस तथ्य को प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, जबकि वसीयतनामा रजिस्टर्ड वसीयतनामा है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं था, किन्तु उसके उपरांत भी वसीयतनामा को विश्वसनीय न मानने का विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है।

11. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता श्री के0सी0उपाध्याय, रमेश दौंदेरिया ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि हीरासिंह की स्वअर्जित भूमि नहीं है। वीसतनामा में शेष उत्तराधिकारियों को बटवारा में जो सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है उसका विवरण नहीं दिया गया है और अपनी समस्त भूमि सब उत्तराधिकारियों को अपवर्जित करते हुए केवल एक उत्तराधिकारी की पुत्रवधु को वसीयत की गई है और वसीयत संदिग्ध अवस्था में की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने उचित रूप से वसीयत पर विश्वास न कर साक्ष्य के अनुरूप निर्णय पारित किया है।

12. उभय पक्ष की ओर से किए गए तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अस अपील के निराकरण के लिए प्रमुख विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है— **क्या हीरासिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति की दिनांक 02.09.2011 को की गई वसीयत स्वस्थ मानसिक दशा एवं पूर्ण होश हवास में की गई थी? जिसका उनको करने का अधिकार प्राप्त था?**

13. प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि कि हीरासिंह मातादीन के पुत्र थे। प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि हीरासिंह के चार पुत्र संतान हरनामसिंह, वेदरामसिंह, सहदेवसिंह एवं होमसिंह तथा चार पुत्री संतान विटान, सावित्री, मुनीश एवं शशी थे।

14. प्रकरण में वादी की ओर से ग्राम छीमका स्थिति वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की होनी दर्शाई गई है, जबकि यदि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादपत्र का अवलोकन किया जाए तो इन तथ्यों को अस्वीकार किया गया है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति दर्शाई गई है, जबकि प्रतिवादी की ओर से उक्त सम्पत्ति को पैत्रिक सम्पत्ति होने से अमान्य किया है और यह आधार लिया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि हीरासिंह की स्वअर्जित सम्पत्तियाँ थी।

15. प्रकरण में वादीगण की ओर से साक्षी हरनामसिंह तोमर अ0सा0 4, विश्वनाथसिंह अ0सा0 2, चरनसिंह तोमर अ0सा0 3, सूरजपाल सिंह अ0सा0 4 का परीक्षणकरया गया है, जिसमें इन साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रमुख रूप से वादपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए वादग्रस्त भूमियों को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति होना और वारिसानों का हीरासिंह के

जीवनकाल से वादग्रस्त सम्पत्तियों पर काबिज होकर निवास एवं कृषि कार्य करने संबंधी कथन किए हैं, जबकि यदि इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी सुमनदेवी प्र०सा० 1 के द्वारा अपने अभिवचन अनुसार वादग्रस्त भूमि को हीरासिंह की स्वअर्जित भूमि होना बताते हुए वादग्रस्त भूमि हीरासिंह द्वारा उसके पक्ष में करने एवं मृत्यु तक हीरासिंह का कब्जा होना, तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा होने संबंधी कथन किए हैं। प्रतिवादी की ओर से वसीयत के निष्पादन के साक्षी अनिरुद्धसिंह प्र०सा० 2 का परीक्षण कराया है।

16. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षा में अपने अपने तथ्यों के समर्थन अनुसार कथन किए हैं। ऐसी स्थिति में विवाध्य विषय के संबंध में साक्षियों के प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है। इस निष्कर्ष के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन अथवा अपील प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता अब इस न्यायालय में इस तथ्य को चुनौती नहीं दे सकते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया है कि चूंकि अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है, वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार था या नहीं, यह वसीयत से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसी स्थिति में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्यर्थी बगैर अपील प्रस्तुत किए भी उक्त तथ्यों को चुनौती दे सकते हैं।

18. आदेश 41 नियम 22 सी.पी.सी. के अधीन प्रत्यर्थी ऐसी स्थिति में जबकि विवाद्यकों में से कुछ का विनिश्चय निचले न्यायालयों द्वारा उसके विरुद्ध किया गया है, यद्यपि अंतिम विनिश्चय या डिक्री सम्पूर्णतः उसके विरुद्ध में पारित की गई हो, स्वेच्छया अनुसार ऐसे विवाद्यक या विवाद्यकों के संबंध में प्रत्याक्षेप फाइल कर सकता है, किन्तु जिनका विनिश्चय उसके अनुसार उसके पक्ष में किया जाना चाहिए था, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा ऐसे प्रत्याक्षेप का अभाव जब कि निचली न्यायालय द्वारा डिक्री सम्पूर्णतः उसके पक्ष में पारित की गई हो, उसे इस बात से विवर्जित नहीं करता कि वह ऐसे विवाद्यकों के संबंध में, जिनका विनिश्चय निचले न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध किया गया है, निचले न्यायालय द्वारा

अभिलिखित निष्कर्ष की विधि मान्यता को चुनौती दे।

19. प्रकरण की परिस्थितियों से वादी को निर्णय के कारण किसी प्रकार की हानि न हुई हो, क्योंकि उसके विरुद्ध वाद डिक्री नहीं किया गया है। यदि वादी निर्णय द्वारा व्यथित नहीं है, तो उन्हें अपील फाइल करने और प्रत्याक्षेप फाइल करने का वाद हेतुक प्राप्त नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में वादी उन मुद्दों पर भी डिक्री का समर्थन करने के लिए हकदार है, जो उसके विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय द्वारा विनिश्चित किए गए हैं। अतः वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इस प्रश्न पर चुनौती देने का अधिकार प्रत्यर्थीगण को है, भले ही उस संबंध में प्रत्याक्षेप फाइल नहीं किया गया है।

20. विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय के वादप्रश्न क्रमांक 1 में विवादित सम्पत्तियों को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक नहीं माना है। इस तथ्य पर विचार किया जाए जैसा कि प्रत्यर्थीगण की ओर से आधार लिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से वादग्रस्त भूमि हीरासिंह की स्वअर्जित भूमि थी इस संबंध में केवल अभिवचन किए गए हैं तथा साक्षियों के मौखिक कथन रहे हैं, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जबकि यदि वादी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी. 7 जो कि 5 पृष्ठों में होना दर्शाया गया है में पुराना खसरा क्रमांक 482, 862, 1338 एवं 1524 हीरासिंह के पिता मातादीन के नाम पर भूस्वामी के रूप में दर्शाया गया है। उक्त खसरा क्रमांकों की चकबंदी के पास परिवर्तित नवीन खसरा नम्बर/सर्वे नम्बर की री-नम्बरिंग सूची बंदोवस्त प्र.पी. 5 प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार मातादीन की नाम पर दर्ज उक्त भूमियाँ परिवर्तित खसरा क्रमांक जिनका नवीन नम्बर क्रमानुसार 636, 1172, 1644, 1749 हो गए हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी. 9 जो कि वर्ष 2011-12 का किस्तबंदी खतौनी है हीरासिंह के नाम पर भूस्वामी के रूप में दर्ज है, इसमें से खसरा क्रमांक 636, 1172, 1749 एवं 1644 वादग्रस्त भूमियों में शामिल है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है और न ही खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की। उक्त दर्शाए गए खसरा क्रमांक हीरासिंह के पूर्व उसके पिता मातादीन के नाम पर भूस्वामी के रूप में दर्ज थे। ऐसी स्थिति में हीरासिंह ने अपने पिता से उक्त खसरा क्रमांक 636, 1172, 1644 एवं 1749

उत्तराधिकार पर नहीं अपितु बिक्रय से प्राप्त किए थे। जैसा कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से आधार लिया गया है के तथ्य का सिद्धीभार प्रतिवादीगण पर अंतरित था, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तु नहीं किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हीरासिंह ने उक्त खसरा क्रमांक उत्तराधिकार में नहीं अपितु बिक्रय अथवा अन्यथा प्राप्त किया था।

21. ऐसी स्थिति में स्पष्टतः विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण दर्शित होता है।

22. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से वादग्रस्त भूमि हीरासिंह द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में वसीयत कराने संबंधी आधार लिए हैं। वसीयत प्र.डी. 9 के साक्ष्य के रूप में अनिरुद्ध प्र0सा02 का परीक्षण कराया गया है जो कि प्रतिवादी क्रमांक 1 सुमनदेवी का भाई होना दर्शाया गया है।

23. वादीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि जिस समय कथित वसीयत किया जाना दर्शाया गया है उस समय हीरासिंह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी और वसीयत म0प्र0 में न कराकर प्रतिवादी क्रमांक 1 के मायके के पास माधोगढ़ में कराई गई है और वसीयत का साक्षी केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 का भाई है। ऐसी स्थिति में वसीयत अपने आपमें संदिग्ध है।

24. वसीयत किस प्रकार प्रमाणित की जावेगी उसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे ? तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 की अपेक्षाओं की तुष्टि एवं साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के उपबंध की पूर्ति किस प्रकार होगी । मार्गदर्शन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत व्यूमनाम आंग वी टाम्फा इबेम्बा देवी विरुद्ध व्यूमनाम जायकुमार सिंह एवं अन्य 2009 पार्ट 1 एस.सी.सी.डी. 459 एस.सी. अवलोकनीय है ।

25. वसीयत किस प्रकार निष्पादित किया जाना चाहिये और उनमें किन अपेक्षाओं का अनुपालन आवश्यक है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टान्त रुरसिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य विरुद्ध बचन कौर 2010 पार्ट 1 एस.सी.सी.डी. 560 एस.सी. में अपने पूर्व न्याय दृष्टान्त जानकी नारायण भोयर विरुद्ध नारायण नामदेव कदम 2003 (2)

एस.सी.सी. 91 को उद्धृत करते हुए निम्न सम्प्रेक्षण दिये हैं जो अवलोकनीय है:-

Execution of a will is required to be proved in terms of the provisions of Section 63 (c) of the Indian Succession Act and Section 68 of the Indian Evidence Act.

The statutory requirements to prove a will in terms of the aforementioned provisions have been laid down in a large number of decisions. We may notice a few of them.

In *Janki Narayan Bhoir v. Narayan Namdeo Kadam*, (2003) 2 SCC 91: 2003 (2) SCCD 754, while dealing with the question elaborately, the Court held:

"To say Will has been duly executed the requirement mentioned in Clauses (a), (b) and (c) of Section 63 of the Succession Act are to be complied with, i.e., (a) the testator has to sign or affix his mark to the Will, or it has got to be signed by some other person in his presence and by his direction; (b) that the signature or mark of the testator, or the signature of the person signing at his direction, had to appear at a place from which it could appear that by that mark or signature the document is intended to have effect as a Will; (c) the most important point with which we are presently concerned in this appeal, is that the Will had to be attested by two or more witnesses must have seen the testator sign or affix his mark to the Will, or must have seen some other person sign the Will in the presence and by the direction of the testator, or must have received from the testator a personal acknowledgement of signature or mark, or of the signature of such other person, and each of the witnesses has to sign the Will in the presence of the testator."

As regards compliance of the provision of Section 68 of the Evidence Act, it was opined:

"In a way, Section 68 gives a concession to those who want to prove and establish a Will in a Court of law by examining at least one attesting witness even though Will has to be attested at least two witnesses mandatorily under Section 63 of the Succession Act. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a Will to put in other words, if one attesting witness can prove execution of the Will in terms of Clause (c) of Section 63, viz., attestation by two attesting

witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a Will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the Will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in the evidence satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of Will at least by two witnesses for the simple reason that the execution of the Will does not merely mean the signing of it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act. Where one attesting witness examined to prove the Will under section 68 of the Evidence Act fails to prove the due execution of the Will then the other available attesting witness has to be called to supplement his evidence to make it complete in all respects. Where one attesting witness is examined and he fails to prove the attestation of the Will by the other witness there will be deficiency in meeting the mandatory requirements of Section 68 of the Evidence Act."

26. यह कहने के लिए वसीयत सम्यकरूपेण निष्पादित की गई है, उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के खण्ड (क)(ख)(ग) में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना होता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टान्त रुरसिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियो द्वारा एवं अन्य विरुद्ध बचन कौर 2010 पार्ट 1 एस.सी.सी.डी. 560 एस.सी. में अपने पूर्व न्याय दृष्टान्त जानकी नारायण भोयर विरुद्ध नारायण नामदेव कदम 2003 (2) एस.सी.सी. 91 को उद्धृत करते हुए निम्न सम्प्रेक्षण दिये हैं जो अवलोकनीय है:-

"To say Will had been duly executed the requirement mentioned in Clauses (a),(b) and (c) of Section 63 of the Succession Act are to be complied with,i.e.,(a) the testator has to sign or affix his mark to the Will, or it has got to be signed by some other person in his presence and by his direction; (b) that the signature or mark of the testator, or the signature of the person signing at his direction, had to appear at a place from which it could appear that by that mark or signature the document is intended to have effect as a Will ; (c) the most

important point with which we are presently concerned in this appeal, is that the Will had to be attested by two or more witnesses must have seen the testator sign or affix his mark to the Will, or must have seen some other person sign the Will in the presence and by the direction of the testator, or must have received from the testator a personal acknowledgement of signature or mark, or of the signature of such other person, and each of the witnesses has to sign the Will in the presence of the testator."

As regards compliance of the provision of Section 68 of the Evidence Act, it was opined:

"In a way, Section 68 gives a concession to those who want to prove and establish a Will in a Court of law by examining at least one attesting witness even though Will has to be attested at least two witnesses mandatorily under Section 63 of the Succession Act. But what is significant and to be noted is that that one attesting witness examined should be in a position to prove the execution of a Will to put in other words, if one attesting witness can prove execution of the Will in terms of Clause (c) of Section 63, viz., attestation by two attesting witnesses in the manner contemplated therein, the examination of other attesting witness can be dispensed with. The one attesting witness examined, in his evidence has to satisfy the attestation of a Will by him and the other attesting witness in order to prove there was due execution of the Will. If the attesting witness examined besides his attestation does not, in the evidence satisfy the requirements of attestation of the Will by other witness also it falls short of attestation of Will at least by two witnesses for the simple reason that the execution of the Will does not merely mean the signing of it by the testator but it means fulfilling and proof of all the formalities required under Section 63 of the Succession Act. Where one attesting witness examined to prove the Will under section 68 of the Evidence Act fails to prove the due execution of the Will then the other available attesting witness has to be called to supplement his evidence to make it complete in all respects. Where one attesting witness is examined and he fails to prove the attestation of the Will by the other witness there will be deficiency in meeting the mandatory requirements of Section 68 of the Evidence Act."

27. प्र.डी. 1 का वसीयतनामा माधोगढ़ जिला जालौन में निष्पादित किया जाकर वहीं पर रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत कराया जाना दर्शित होता है। साक्षी अनिरुद्धसिंह प्र0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि हीरासिंह ने अपनी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति व मकान सुमनदेवी के पक्ष में सम्पादित किए थे जिसे उन्होंने दिनांक 02.09.2011 को सब रजिस्ट्रार माधोगढ़ जिला जालौन के समक्ष रजिस्ट्रीकृत करवाया था। वसीयत हीरासिंह ने बोलकर हाथ से लिखावाई थी, जिस पर उसने स्वयं अंगूठा निशानी लगाया था, तत्पश्चात् उसने और अन्य साक्षी राममोहन ने हस्ताक्षर किए थे।

28. प्रत्यर्थागण की ओर से यह आधार लिया गया है कि जिस समय वसीयत किया जाना दर्शाया है, उस समय हीरासिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं था, यह तथ्य वादी साक्षियों के कथनों में आया है। वादी साक्षियों के कथनों में यह तथ्य भी आया है कि हीरासिंह अंगूठा नहीं लगाते थे और हस्ताक्षर करते थे, जबकि वसीयतनामे पर हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा निशानी होना वसीयत को अपने आप में संदेहास्पद बनाता है। हीरासिंह हस्ताक्षर करते थे इस तथ्य को प्रतिवादी सुमन प्र.सा. 1 ने भी स्वीकार किया है, किन्तु इस साक्षी का अपनी प्रतिपरीक्षण कंडिका 24 में कहना रहा है कि हीरासिंह को वसीयतनामा करते समय दिखाई तो देता था, किन्तु वह साइन नहीं कर पाते थे, साइन क्यों नहीं कर पाते थे इस संबंध में साक्षी का स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि यह साक्षी जिस समय वसीयत किया गया है उस समय हीरासिंह को गंभीर रूप से बीमार नहीं बताती है और केवल कभी कभी शर्दी बुखार होने संबंधी कथन भी करती है और इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया है कि हीरासिंह 6 माह से अस्वस्थ थे। यदि इस संबंध में साक्षी अनिरुद्धसिंह प्र0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि हीरासिंह स्वयं चलकर उनके घर आए थे और कहा था कि माधोगढ़ चलना है और फिर उसे एवं शिवनरेश और राघवेन्द्र सिंह के पास लकर गए थे, किन्तु यह साक्षी इस बात का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है कि जब हीरासिंह के हाथ सही काम कर रहे थे तो उन्होंने अंगूठा क्यों लगाया।

29. साक्षी अनिरुद्धसिंह प्र0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो साक्षी का ऐसा

कहना नहीं रहा है कि हीरासिंह को आँखों से कम दिखाई देता था, बल्कि साक्षी के इस आशय के कथन रहे हैं कि हीरासिंह स्वयं उनके घर आया था तो उसे लेकर रामनरेश व शिवनरेश के पास गए थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उन्होंने वसीयत को नहीं पढ़ा था, इस पर साक्षी कहता है कि हीरासिंह ने वसीयत को आँखों के नजदीक कर के पढ़ लिया था। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि जब हीरासिंह वसीयत को पास से देखकर पढ़ने में सक्षम थे और हाथ ठीक से काम करते हुए भी हस्ताक्षर क्यों नहीं किये। प्र.डी. 1 के दस्तावेज के अंत में हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाये जाने की वजह इस प्रकार छोटे अक्षरों में लिखाई गई है जिससे ऐसा दर्शित होता है कि पूर्व में वसीयत बड़े अक्षरों में लिखाई गई, तत्पश्चात् बाद में उक्त लाइन छोड़ी गई।

30. प्रकरण में प्र.डी. 1 की वसीयत हीरासिंह द्वारा अधिकांश समय छीमका एवं गोहद में रहने के पश्चात् ही माधोगढ़ जाकर क्यां कराई गई इस पर संदेह उत्पन्न होता है। प्र.डी. 1 की वसीयत के संबंध में यह दर्शाया गया है कि उक्त वसीयत माधोगढ़ जिला जालोन में उप पंजीयक के यहाँ रजिस्टर की गई थी, किन्तु इस संबंध में उप पंजीयक माधोगढ़ से कोई प्रमाणीकरण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। प्र.डी. 1 के वसीयत पर लगी फोटो पर भी उप पंजीयक के प्रमाणीकरण की शील नहीं है।

31. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **राजेन्द्रप्रसाद द्विवेदी वि० अतुल कुमार द्विवेदी एवं अन्य 2005 (5) एम.पी.एच.टी. 383** प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यह उपधारणा की जाती है कि उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज उचित रूप से निष्पादित किया गया था।

32. यह सही है कि दस्तावेज के निष्पादन की उपधारणा की जा सकती है, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्र.डी. 1 के फोटो में उप पंजीयक के प्रमाणीकरण की शील नहीं है। दस्तावेज अनयत्र लिखाया गया हो, ऐसी स्थिति में संदेह का परिमार्जन अवश्य है कि वास्तव में वसीयत हीरासिंह ही द्वारा की गई है।

33. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **समसुधराम**

वि० रोचनसिंह 1984 एम.वी.व्हीकली नोट 467, वर्दीबाई वि० दौलतराम एवं अन्य 2010 राजस्व निर्णय 250, पी.एस.साईराम एवं अन्य वि० पी.एस.रामाराव पाईसे एवं अन्य 2004(2) एस.सी.सी.डी. 682(एस.सी.) प्रस्तुत करते हुए तर्क किये हैं कि उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत सम्यक् रूप से निष्पादित की जा चुकी है।

34. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 61 यह प्रावधान करती है कि विल का कोई भाग, जो कपट, प्रपीडन द्वारा या ऐसी अतियाचना द्वारा किया गया हो जिससे वसीयतकर्ता स्वतंत्र नहीं रह जाता शून्य है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 59 विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति का प्रावधान करती है और यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक स्वच्छचित व्यक्ति जो अवयस्क है अपनी सम्पत्ति का वयन कर सकता है।

35. प्रश्नगत प्रकरण में हीरासिंह द्वारा अपनी जो सम्पत्तियों का वयन किया गया है उस समय उनकी मानसिक दशा कैसी थी की कोई विश्वसनीय साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। हीरासिंह हस्ताक्षर करते थे, किन्तु वसीयत में अंगूठा लगाया गया है जो संदेह उत्पन्न करता है। वसीयत गोहद के स्थान पर माधोगढ़ जिला जालोन में जाकर की गई है आए संदेह को प्रवलता प्रदान करता है। यदि वसीयत प्र.डी. 1 का अवलोकन किया जाए तो हीरासिंह द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति श्रीमती सुमन प्रतिवादी क्रमांक 1 को देना लेख किया है, किन्तु उनके पास उस समय कौन कौन सम्पत्तियाँ शेष थी? क्या उनका स्वामित्व उनके पास था? इसका कोई उल्लेख वसीयत में नहीं है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि वसीयत में अपनी शेष संतानों को पूर्व में ही बटाबारा में सम्पत्ति व जायदाद देने का तथ्य लेख है, किन्तु कौन सी सम्पत्ति शेष उत्तराधिकारियों को दी इसका कोई विवरण प्र.डी. 1 की वसीयत में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि — क्या जिस सम्पत्ति को हीरासिंह द्वारा वसीयत किया जाना दर्शाया है, क्या हीरासिंह को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है?

36. प्रत्यर्थी की ओर से यह आधार लिए गए हैं कि संदिग्ध दस्तावेज की सत्यता प्रमाणित करने का भार अत्यधिक बढ़ जाता है, जब संदिग्ध परिस्थितियों में वसीयत किया जाना दर्शाया है और

जब तक ऐसी परिस्थितियों को स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। इस संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **कल्याणसिंह वि० श्रीमती छोटी बाई एवं अन्य ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 396** में अभिनिर्धारित सिद्धांत की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है।

37. प्रकरण में अपीलार्थी को प्रत्येक दशा में यह प्रमाणित किया जाना होगा कि जिस दस्तावेज के आधार पर वह मृत व्यक्ति के द्वारा की गई वसीयत के आधार पर सम्पत्ति को प्राप्त करने का दावा करता है वह सम्पत्ति उस मृत व्यक्ति के अनन्य स्वामित्व में थी, उसे उन सम्पत्तियों को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था और वसीयत स्वस्थचित में जानते हुए बगैर किसी व्यवस्था की गई?

38. प्रश्नगत प्रकरण में वसीयतकर्ता को वसीयत करते समय 80 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति होना दर्शाया है। प्रकरण में उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियाँ आई है, जो वसीयत की गई है जिसका स्पष्टीकरण प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में वसीयतकर्ता द्वारा अपने शेष 7 वारिसान को अपवर्जित करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में वसीयत की गई है। ऐसी दशा में शेष वैध वारिसान को अपवर्जित करने का समुचित कारण था, कोई विधि पूर्ण रूप से वसीयत प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में की गई थी के तथ्य का सिद्धिभार प्रतिवादी क्रमांक 1 पर था, किन्तु प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 उक्त सिद्धिभार को उन्मोचित करने में सफल नहीं रही है।

39. वसीयत, वसीयतकर्ता की वसीयती सम्पत्ति के संबंध में अपनी अंतिम इच्छा होती, तब उस सम्पत्ति का निराकरण उसकी इच्छा के अनुसार किस प्रकार किया जाये यह एक महत्वपूर्ण कृत्य है और जिसे अत्यंत विश्वसनीय अनाधिक्षेपणीय साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना होता है, किन्तु वह वसीयत का निष्पादन संदिग्ध परिस्थितियों द्वारा घिरा हो तथा सुसंगत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वसीयत किया जाना गंभीर संदेह के घेरे में हो, वहाँ सभी वैध संदेहों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों की विद्यमानता की प्रकृति स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक सिद्धिभार को अत्यंत दुर्बल बनाने के लिये ही आशायित होती है और जब तक उसका संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है, न्यायालय उस दस्तावेज को वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत होना मानने से अनिच्छुक होगा।

40. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत महेश कुमार विरुद्ध विनोद कुमार 2012 (2) एस.सी.सी.डी.594(एस.सी.) में अपने पूर्व न्याय दृष्टांतों को उद्धृत करते हुये निम्न सम्प्रेक्षण दिया है, जो मार्गदर्शक होकर अवलोकनीय है :-

There may, however, be cases in which the execution of the will may be surrounded by suspicious circumstances. The alleged signature of the testator may be very shaky and doubtful and evidence in support of the propounder's case that the signature, in question is the signature of the testator may not remove the doubt created by the appearance of the signature; the condition of the testator's mind may appear to be very feeble and debilitated; and evidence adduced may not succeed in removing the legitimate doubt as to the mental capacity of the testator; the dispositions made in the will may appear to be unnatural, improbable or unfair in the light of relevant circumstances; or, the will may otherwise indicate that the said dispositions may not be the result of the testator's free will and mind. In such cases the Court would naturally expect that all legitimate suspicions should be completely removed before the document is accepted as the last will of the testator. The presence of such suspicious circumstances naturally tends to make the initial onus very heavy; and, unless it is satisfactorily discharged, Courts would be reluctant to treat the document as the last will of the testator. It is true that, if a caveat is filed alleging the exercise of undue influence, fraud or coercion in respect of the execution of the will propounded, such pleas may have to be probed by the caveators; but, even without such pleas circumstances may raise a doubt as to whether the testator was acting of his own free will in executing the will. To remove any such legitimate doubts in the matter.

Apart from the suspicious circumstances to which we have just referred, in some cases the wills propounded disclose another infirmity propounders themselves take a prominent part in the execution of the wills which confer on them substantial benefits. If it is shown that the propounder has taken a prominent part in the execution of the will and

has received substantial benefit under it, that itself is generally treated as a suspicious circumstance attending the execution of the will and the propounder is required to remove the said suspicion by clear and suspicious circumstances that decisions of English Courts often mention the test of the satisfaction of judicial conscience. It may be that the reference to Judicial conscience in this connection is a heritage from similar observations made by ecclesiastical courts in England when they exercised jurisdiction with reference to wills; but any objection to the use of the word "conscience" in this context would, in our opinion, be purely technical and academic, If not pedantic. The test merely emphasizes that, in determining the question as to whether an instrument produced before the court is the last will of the testator, the court is deciding a solemn question and it must be fully satisfied that it had been executed by the testator who is no longer who is no longer alive,"

The ratio of H. Venlatachala Iyengar's case was relied upon of referred to in Rani Purnima Devi v. Shboddh Kumar Banerjee, AIR 1964 SC 529 ; Surendra Pal V. Fr. (Mrs.) Saraswati Arora (supra) ; Seth Veni Chand (since dead) now by L.Rs. v. kamla Kunwar (Supra) ; Uma Devi Nambiar v. T.C. Sidhan (supra); Sridevi v. Jayaraja Shetty (supra) and S. R. Srinivasa v. S. padmavathamma (supra). In Jaswant Kaur v. Amrit Kour. (1977) 1 SCC 369 the Court analysed the ratio In H. Venlatachala Iyengor's case and culled out the following propositions :

"(1) Stated generally, a Will has to be proved like any other document, the test to be applied being the usual test of the satisfaction of the prudent mind in such matters, As in the case of proof of other documents, of in the case of proof of wills, one cannot insist on proof with mathematical certainty.

(2) Since Section 63 of the Succession Act requires a will to be attested, it cannot be sued as evidence until, as required by Section 68 of the Evidence Act, one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving

evidence.

(3) Unlike other documents, the will speaks from the death of the testator and, therefore, the maker of the will is never available for deposing as to the circumstances in which the will came to be executed, This aspect introduces an element of solemnity in the decision of the question whether the document propounded is proved to be the last will and testament of the testator. Normally the onus which lies on the propounder can be taken to be discharged on proof of the essential facts which go into the making of the will.

(4) Case in which the execution of the will is surrounded by suspicious circumstances stand on a different footing. A shaky signature a feeble mind. an unfair and unjust disposition of property. the propounder himself taking a leading part in the making of the will under which he receives a substantial benefit and such other circumstances raise suspicion about the execution of the will That suspicion cannot be removed by the mere assertion of the propounder that the will bears the signature of the testator of that the testator was in a sound and disposing state of mind and memory at the time when the will was made of that those like the wife and children of the testator who would normally receive their due share in his estate were disinherited because the testator might have had his own reasons for excluding them. The presence of suspicious circumstances makes the initial onus heavier and therefore in cases where the circumstances attendant upon the execution of the will excite the suspicion of the Court, the propounder must remove all legitimate suspicion before the document can be accepted as the last will of the testator.

(5) It is in connection with wills, the execution of which is surrounded by suspicious circumstances that the test of satisfaction of the judicial conscience has been evolved. That test emphasises that in determining the question as to whether an instrument produced before the Court is the last will of the testator. the Court is called upon to decide a solemn question and by reason of suspicious circumstances the Court has to be satisfied fully that the will has been validly executed by the testator.

(6) If a caveator alleges fraud, undue influence, coercion etc. in regard to the execution of the will such pleas have to be proved by him, but even in the absence of such pleas. the very circumstances surrounding the execution of the will may raise a doubt as to whether the testator was acting of his own free will. And then it is a part of the initial onus of the propounder to remove all reasonable doubts in the matter."

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्य न्याय दृष्टांत एम.बी. रमेश विरुद्ध के.एम. विराजे (मृत) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य 2013 (3) एस.सी.सी.डी.1493 (एस.सी.) में महत्वपूर्ण सम्प्रेक्षण दिया है कि वसीयत का निष्पादन तथा अनुप्रमाणन की विधिमानता संदिग्ध परिस्थितियों में बहुत ही प्रबल साक्ष्य द्वारा की जाना चाहिए, जिससे वैध संदेहों को दूर किया जा सके। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व न्याय दृष्टांत वेंकटचल अयंगर विरुद्ध वी.एम. थिम्मा जम्मा ए.आई.आर.1959 एस.सी. (443) 3 एवं श्रीमती जसवंत गौर बनाम श्रीमती अमृता कौर ए.आई.आर.1977 एस.सी.74 में अभिनिर्धारित सिद्धांतों को उद्धृत करते हुये निम्नलिखित सम्प्रेक्षण दिया है, जो अवलोकनीय है :-

10. There is a long line of decisions bearing on the nature and standard of evidence required to prove a will. Those decisions have been reviewed in an elaborate judgment of this Court in R. Venkatachala Iyengar v. B.N. Thirumajamma and other (1959) 1 SCR 426. The Court, speaking through Gajendragadkar, J., laid down in that case the following propositions:

1. Stated generally, a will has to be proved like any other document, the test to be applied being the usual test of the satisfaction of the prudent mind in such matters. As in the case of proof of other documents, so in the case of proof of Wills, one cannot insist on proof with mathematical certainty.

2. Since Section 63 of the Succession Act requires a

will to be attested, it cannot be used as evidence until, as required by Section 63 of the Evidence Act. one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive and subject to the process of the Court and capable of giving evidence.

3. Unlike other documents, the will speaks from the death of the testator and, therefor, the maker of the will is never available for deposing as to the circumstances in which the will came to be executed, This aspect introduces an element of solemnity in the decision of the question whether the document propounded is proved to be the last will and testament of the testator. Normally, the onus which lies on the propounder can be taken to be discharged on proof of the essential facts which go into the making of the will.

4. Cases in which the execution of the will in surrounded by suspicious circumstances stand of a different footing. A shaky signature, a feeble mind, an unfair and unjust disposition of property, the propounder himself taking a leading part in the making of the will under which he receives a substantial benefit and such other circumstances raise suspicion about the execution of the will. That suspicion cannot be removed by the mere assertion of the propounder that the will bears the signature of the testator or that the testator was in a sound and disposing state of mind and memory at the time when the will was made, or that those like the wife and children of the testator who would normally receive their due share in his estate were disinherited because the testator might have had his own reasons for excluding them. The presence of suspicious circumstances makes the initial onus heavier and therefore, in cases where the circumstances attendant upon the execution of the will excite the suspicion of the Court, the propounder must remove all legitimate suspicions before the document can be accepted as the last will of the testator.

5. It is in connection with wills, the execution of which is surrounded by suspicious circumstance that the test of satisfaction of the judicial conscience has been evolved. That test emphasises that in determining the question as to whether an instrument produced before the Court is the last will of the testator, the Court is called upon to decide a solemn question

and by reason of suspicious circumstances the court has to be satisfied fully that the will has been validly executed by the testator.

6. If a caveator alleges fraud, undue influence, coercion etc. in regard to the execution of the will. such pleas have to be proved by him, but even in the absence of such pleas, the very circumstances surrounding the execution of the will may raise a doubt as to whether the testator was acting of his own free will. And then it is a part of the initial onus of the propounder to remove all reasonable doubts in the matter."

42. अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त सम्पत्तियों में से खसरा क्रमांक 636, 1172, 1644 एवं 1749 वसीयतकर्ता के पिता मातादीन के नाम पर भूस्वामी के रूप में दर्ज नहीं है, जिससे प्रबल संभाव्यता की हद तक यह निष्कर्ष निकलता है कि हीरासिंह को उक्त खसरा क्रमांक की भूमियाँ उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः वादग्रस्त सम्पत्ति को हीरासिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति होने का आधार लिया जा रहा है वह सत्य नहीं है और इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है।

43. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 विश्वसनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि हीरासिंह द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति वसीयत की गई। वसीयत किये जाने के संबंध में गंभीर संदेह विद्यमान है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी सुमनदेवी की ओर से वसीयत को विधिवत रूप से प्रमाणित कर दिया गया है और न ही यह माना जा सकता है कि वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधान अनुसार सम्यक् रूप से निष्पादित किया जाना प्रमाणित करा दी गई है।

44. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत वसीयत को विधिवत प्रमाणित न पाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित है और ऐसी स्थिति में वसीयतनामा दिनांक 02.09.2011 को शून्य व निष्प्रभावी होने का जो निष्कर्ष निकाला है वह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें अपीलाधीन शक्तियों के अधीन

हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

45. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

46. प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

47. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर रुपये 500/- की सीमा तक या सूची अनुसार जो भी कम हो आज़ाप्ति में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज़ाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)